[2021] 8 एस.सी.आर. 513

सरन्या

बनाम

भारती और अन्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 873)

24 अगस्त, 2021

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 482 - शक्ति का प्रयोग - आरोप तय करने का चरण - उच्च न्यायालय ने सह-अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और अलग कर दिया। 1 एसएस के तहत अपराधों के लिए. 420, 302 आरडब्ल्यू 109 आईपीसी - की शुद्धता - माना गया: उच्च न्यायालय ने सबूतों की सराहना की और विचार किया कि क्या सबूतों के आधार पर, आरोपी को दोषी ठहराया जाने की संभावना है या नहीं - इस स्तर पर, आवेदन पर विचार करते समय यू /s.482 Cr.P.C., यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है - उच्च न्यायालय मुकदमा नहीं चला रहा था और/या दोषसिद्धि या बरी के आदेश के खिलाफ अपीलीय अदालत के रूप में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा था - इसके अलावा, दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी प्रतिवादी संख्या के विरुद्ध कम से कम प्रथम दृष्टया मामला बनता है। 1, उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 1 के आधार पर आरोप पत्र को रद्द नहीं करना चाहिए था - उच्च न्यायालय द्वारा एसएस के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आदेश पारित किया गया। 420, 302 आरडब्ल्यू 109 योग्यता प्रतिवादी नंबर 1 को खारिज कर दिया गया और अलग रखा गया।

एस 482 - मुक्ति आवेदन पर विचार करते समय आरोप तय करने का चरण - सिद्धांत जो उच्च न्यायालय को धारा के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। 482 - कहा गया।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया: 1.1 रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जो प्रतिवादी नंबर 1-ए2 के खिलाफ भी मजबूत संदेह पैदा करती है। यह पाया गया है कि A2-प्रतिवादी संख्या 1 जो सचिवालय में कार्यरत थी और मृतक और शिकायतकर्ता के संपर्क में थी क्योंकि वह मृतक के स्वामित्व वाली ज़ेरॉक्स की दुकान पर जाती थी और उसने शिकायतकर्ता और मृतक को A1 से मिलवाया था। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि उसने कहा कि वह मृतक के लिए नौकरी/रोजगार प्राप्त करने का प्रबंधन कर सकती है लेकिन इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। यह सच है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार और यहां तक कि शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, एक राशि रुपये का A1 को 5 लाख का भुगतान किया गया। हालाँकि, जाँच के दौरान रु. प्रतिवादी संख्या के घर से 1 लाख 20 हजार रुपये बरामद किये गये हैं. 1-ए2 स्वयं ए2 के कहने पर। प्रतिवादी नंबर 1 का तथाकथित इकबालिया बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य है। हालाँकि, इस तरह के बयान के आधार पर रुपये की वसूली की गई थी। A2- प्रतिवादी नंबर 1 के घर से 1 लाख 20 हजार। दूसरा पहलू यह है कि बरामद रकम रु. 1 लाख 20 हजार वही रकम थी जो मृतक और शिकायतकर्ता ने A1 को दी थी, यह मुकदमे के दौरान विचारणीय साक्ष्य का विषय है। यहां तक कि रुपये का स्रोत भी. आरोपी को 1 लाख 20 हजार का स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है. [पैरा 8]

1.2 जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने ए1 और ए2 के बीच कॉल विवरण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं जो अपराध के घटित होने के समय और उसके बाद भी हैं। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब प्रतिवादी नंबर 1 पर धारा 420, 302 आर/डब्ल्यू 109 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है और जब प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ कम से कम प्रथम दृष्टया मामला दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। 1-ए2, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपपत्र/संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गंभीर त्रुटि की है। आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र निरस्त करना उचित नहीं है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से जांच के दौरान जो सामने आया उसे नजरअंदाज कर दिया। उच्च न्यायालय ने सबूतों की सराहना की और विचार किया कि क्या सबूतों के आधार पर, आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं, जो धारा 482 सीआर पी.सी. के तहत आवेदन पर विचार करते समय इस स्तर पर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उच्च न्यायालय मुकदमे का संचालन नहीं कर रहा था और/या दोषसिद्धि या दोषमुक्ति

के आदेश के खिलाफ अपीलीय अदालत के रूप में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा था। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को प्रतिवादी नंबर 1- मूल आरोपी नंबर 2 के आधार पर आरोप पत्र को रद्द नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराधों के लिए आरोपपत्र/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय और आदेश धारा 420, 302 आर/डब्ल्यू 109 आईपीसी, प्रतिवादी नंबर 1-आरोपी नंबर 2 को खारिज कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। [पैरा 9, 10]

मध्य प्रदेश राज्य बनाम दीपक **(2019) 13 एससीसी 62: [2019] 2 एससीआर 1055 - पर निर्भर।**

अमित कपूर बनाम रमेश चंदर **(2012) 9 एससीसी 460:**

[2012] 7 एससीआर 988; राजस्थान राज्य बनाम फतेहकरण महदू **(2017) 3 एससीसी 198: [2017]** 2 एससीआर 491; चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) **(2009) 16 एससीसी 605: [2009] 13 एससीआर 230 - संदर्भित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2019] 2 एससीआर 1055	**पैरा 7.1**	**पर निर्भर है**
[2012] 7 एससीआर 988	**पैरा 7.1**	**को संदर्भित करता है**
[2017] 2 एससीआर 491	**पैरा 7.1**	**को संदर्भित करता है**
[2009] 13 एससीआर 230	**पैरा 7.1**	**को संदर्भित करता है**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की आपराधिक अपील संख्या 873।

सीआरएल में मद्रास के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.08.2020 से। 2020 का ओपी नंबर 1443।

जी.एस. मणि, सुश्री खुशबू तोमर, जी. गणेश कुमार, आर. सतीश, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

एस. नागामुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, म.प्र. पार्थिबन, ए.एस. वैरावन, आर. सुधाकरन, श्रीमती शालिनी मिश्रा, टी. हरि हारा सुधन, विकास, डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एम. आर. शाह, जे.

1. 2020 के आपराधिक ओपी संख्या 1443 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 25.08.2020 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस कर रहा हूँ, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए। पी.आर.सी. में प्रतिवादी नंबर 1 - मूल आरोपी नंबर 2 (ए 2) के लिए पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द और अलग कर दिया है। विद्वान एक्स की फाइल पर 2019 का नंबर 250जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए। पी.आर.सी. में प्रतिवादी नंबर 1 - मूल आरोपी नंबर 2 (ए 2) के लिए पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द और अलग कर दिया है। विद्वान एक्स की फाइल पर 2019 का नंबर 250 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई, मृतक की मूल शिकायतकर्ता पत्नी - पीड़ित ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. शुरुआत में अपीलकर्ता के बयान पर प्रतिवादी नंबर 1 और एक दूसरे के खिलाफ धारा 326, 307, 302, 420, आर/डब्ल्यू 34 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में दिए गए बयान और आरोपों के मुताबिक, उनके पति एक साल पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे. हालाँकि, उसके बाद वह बेरोजगार था; कि उसने बी.कॉम तक पढ़ाई की है और घरेलू काम देखती है; चूँकि उसका पति बेरोजगार था और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था, उस समय, एक वेला उर्फ वेलायुथम को प्रतिवादी नंबर 1 ने पेश किया था और उन्हें बताया था कि उक्त वेला उर्फ वेलायुथम गिंडी रोजगार एक्सचेंज में कार्यरत है और यदि वे पैसा दें, वह उनके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था कर सकता है; आगे आरोप

लगाया कि उसकी बातों पर विश्वास कर उन्होंने रुपये दे दिये. लगभग छह महीने पहले वेलयुथम को 4 लाख; 23.09.2019 को उक्त वेलायुथम ने वादा किया कि मेरे पति को आज ही नियुक्ति आदेश मिल जाएगा और हमें व्यासरपडी आने के लिए कहा; जैसा कि उपरोक्त एफआईआर में वेलायुथम, ए1 द्वारा पूछा गया था, शिकायतकर्ता और उसका पति सुबह लगभग 9:00 बजे व्यासरपडी मुल्लई नगर बस डिपो के पीछे 8वीं मुख्य सड़क के फ्लैट नंबर 560 पर गए और उनसे मिले; कि A1 ने उन्हें शिरडी साईं बाबा मंदिर से 'प्रसादम' दिया और हमारे प्रसादम लेने के बाद बात करने के लिए कहा; कि यह शिव मंदिरों में एक पाउडर जैसी विभूति थी; चूंकि पाउडर स्वाद में कड़वा था, इसलिए उसने इसे उगल दिया, हालांकि, उसके पति ने इसे खा लिया था; कि उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा और उसे भी नींद आ रही थी; आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया और उन्हें इलाज के लिए स्टेनली अस्पताल भेजा; जब वह इलाज करा रही थी तो उसे पता चला कि उसके पति की मौत घटना स्थल पर ही हो गयी थी; यह आरोप लगाया गया कि वेलायुथम-ए1 द्वारा दिया गया पाउडर उसके पति की मृत्यु और उसकी उनींदापन का कारण था; शिकायतकर्ता का बयान 24.09.2019 को अस्पताल में दर्ज किया गया था, जिसे प्रासंगिक समय पर मृत्यु पूर्व बयान के रूप में माना गया था। उसी का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

> “मेरा नाम सरन्या है मैंने बी.कॉम की पढ़ाई की, मेरी शादी हो गई, मेरे पति का नाम कार्तिक है, मेरे दो बेटे हैं, मैं एक गृहिणी हूं, मेरे पति प्रोफेसर थे और इसलिए वेतन न मिलने पर उन्होंने ज़ेरॉक्स की दुकान शुरू की। एक भारती नियमित रूप से मेरे पति की ज़ेरॉक्स दुकान पर ज़ेरॉक्सिंग के लिए आती हैं। उसने कहा कि वह सचिवालय में काम करती है, उसने कहा कि रोजगार कार्यालय में काम है और व्यवस्था करनी है वही रु. 6 लाख दिए जा सकते हैं, हमने अपने पति के लिए नौकरी का फैसला किया, 7 महीने के दौरान अग्रिम के रूप में हमने 5 लाख का भुगतान किया। रोजाना जब फोन पर पूछा गया तो फाइल आगे बढ़ गई है, एक सप्ताह पहले उसने कहा था कि वह ऑर्डर कॉपी और साईबाबा प्रसादम देगा। हम परिवार के साथ पलानी गए और सोमवार को 7.30 बजे लौटे, चूंकि, हमारे बेटों की परीक्षा है, देरी के कारण मैं अपने बेटों को स्कूल ले गई और मैडम से बात की और अपने बेटों को स्कूल में छोड़ दिया, मेरे पति ने छूटी हुई देखी वेलायुथम से तीन बार फोन आया, तुरंत मेरे पति ने मुझे घर जाने के लिए कहा

लेकिन मैं उनके साथ मुल्लई नगर जाना चाहती थी। पहले मैं गिंडी कार्यालय गया था, वेलायुथम ने पूछा कि गली में आओ, हरे रंग का घर मेरा घर है। उन्होंने एक ऑर्डर दिखाया और विबूथी और कुंगुमाम दिया और हमने इसे रख लिया, फिर उन्होंने वाहन में बॉक्स खोला, उन्होंने मुझे और मेरे पति को चम्मच में पीले रंग का कवर दिया, तुरंत वेलायुथम ने अपने पति का मोबाइल लिया और अंदर चली गईं ऑर्डर कॉपी की ज़ेरॉक्स कॉपी लेने के लिए दोपहिया वाहन। मेरे पति ने प्रसाद लिया और कुछ जलन महसूस की और तुरंत पानी लिया और थूक दिया, और उन्होंने अपनी पत्नी को भी पानी दिया और निर्देश दिया कि वह इसे मुंह में थूक दे, उसने भी प्रसाद थूक दिया, मेरे पति को दौरा पड़ा और उन्होंने बंद कर दिया। उसकी आँखें, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। जब मैं उठा तो मैं अस्पताल में था. वेलायुथम ने मेरे पति को कुछ दिया है और उसे मार डाला है, भारती भी इसका कारण है। दोपहर 02.55 बजे पूछताछ पूरी हुई. रोगी सचेत है और घोषणा पूरी करने तक बोलने में सक्षम है।"

2.1 यह कि मृत्यु पूर्व बयान मजिस्ट्रेट द्वारा डॉक्टर की उपस्थिति में दर्ज किया गया था जिसने प्रमाणित किया था कि मरीज सचेत था और बोलने में सक्षम था; अपीलकर्ता शिकायतकर्ता की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि यह प्रतिवादी नंबर 1 था - मूल आरोपी नंबर 2 जिसने वेला @ वेलायुथम - ए 1 को उनसे मिलवाया था और उसने कहा था कि वह सचिवालय में काम कर रही है और वहां है रोजगार कार्यालय में नौकरी और उसकी व्यवस्था के लिए रु. 6 लाख रुपये दिए जा सकते हैं और उसके बयान के आधार पर रु. 5 लाख दिए गए; इसके बाद जांच के बाद जांच अधिकारी ने वेला @ वेलायुथम - ए1 के खिलाफ धारा 326, 307, 302, 420 आर/डब्ल्यू 34 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए और प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ - ए2 के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। 302 आर/डब्ल्यू धारा 109 आईपीसी; यह मामला विद्वान एक्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई के समक्ष प्रतिबद्धता के लिए लंबित था; इस स्तर पर प्रतिवादी नंबर 1 - ए2 ने संपर्क किया

उच्च न्यायालय ने 2020 की आपराधिक ओपी संख्या 1443 के माध्यम से धारा 482 सीआरपीसी के तहत उसके खिलाफ पूरी चार्जशीट को रद्द करने की प्रार्थना की, जो कि पी.आर.सी. में लंबित है। विद्वान एक्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई की फाइल पर 2019 की संख्या 250; आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए। पी.आर.सी. में प्रतिवादी संख्या 1-ए2 के लिए संपूर्ण आरोप पत्र और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 420, 302 आर/डब्ल्यू 109 के तहत अपराध के लिए विद्वान एक्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई की फाइल पर 2019 की संख्या 250।

3. उच्च न्यायालय द्वारा पी.आर.सी. में प्रतिवादी संख्या 1-ए2 के तहत संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही/आरोपपत्र को रद्द करने और रद्द करने के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना। आईपीसी की धारा 420, 302 आर/डब्ल्यू 109 के तहत अपराधों के लिए विद्वान एक्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई की फाइल पर 2019 की संख्या 250, मूल शिकायतकर्ता - पीड़ित - मृतक की पत्नी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

4. श्री जी.एस. मणि, विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित हुए हैं, श्री एस. नागामुथु, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित हुए हैं - मूल अभियुक्त संख्या 2 और श्री (डॉ.) जोसेफ अरस्तू एस, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी-तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित हुआ है।

4.1 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मणि ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के लिए संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग करने में गंभीर त्रुटि की है। धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 420, 302 आर/डब्ल्यू 109 आईपीसी के तहत अपराध।

4.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि यहां प्रतिवादी नंबर 1 - मूल आरोपी नंबर 2 के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है, उच्च न्यायालय ने आरोपों की योग्यता में प्रवेश करके और सबूतों की सराहना करते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही/आरोपपत्र को

रद्द कर दिया है। रिकॉर्ड, जो इस स्तर पर और धारा 482 सीआर.पी.सी. के तहत आवेदन पर विचार करते समय। अनुमति योग्य नहीं है.

4.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि इस प्रकार यह प्रतिवादी नंबर 1 था - मूल आरोपी नंबर 2 जिसने आश्वासन दिया और/या वादा किया था कि वह नौकरी की व्यवस्था करेगी और इसके लिए उसने मांग की थी धन।

4.4 यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह प्रतिवादी नंबर 1 - मूल आरोपी नंबर 2 ने वेला @ वेलायुथम - ए 1 को शिकायतकर्ता और उसके पति से मिलवाया और रुपये की राशि दी। A1 को 5 लाख रुपये दिए गए. यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि प्रतिवादी नंबर 1 का ए2 में इकबालिया बयान था और उक्त इकबालिया बयान के आधार पर रुपये की वसूली हुई थी। यहां प्रतिवादी नंबर 1 के घर से 1 लाख 20 हजार - मूल आरोपी नंबर 2।

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने कॉल विवरण के रूप में साक्ष्य भी एकत्र किए, विशेष रूप से अपराध के समय के आसपास ए 1 और ए 2 के बीच कॉल।

4.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि एकत्रित की गई उपरोक्त सामग्री और परिस्थितियों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गलती से प्रतिवादी नंबर 1, यहां मूल आरोपी नंबर 2 के आधार पर आरोपपत्र/संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

4.7 यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपपत्र/संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय, उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान सामने आई बातों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक परीक्षण को बिल्कुल भी लागू नहीं किया है, अर्थात्, जब आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या क्या यह मानने का आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए

आरोप पत्र/संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। *मध्य प्रदेश राज्य बनाम दीपक के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है, (2019) 13 एससीसी 62* में रिपोर्ट किया गया है।

4.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने और रद्द करने और अलग करने की प्रार्थना की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में प्रतिवादी संख्या 1 के लिए आरोपपत्र/संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने का आदेश दिया गया है - धारा 420, 302 आर/डब्ल्यू 109 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए मूल आरोपी संख्या 2.

5. तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरस्तू एस ने अपीलकर्ता का समर्थन किया है। प्रतिवादी नंबर 2 - तमिलनाडु राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे पर भरोसा किया गया है

5.1 यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री/साक्ष्य एकत्र किए और उसके बाद ही धारा 326, 307, 302, 420, आर के तहत अपराधों के लिए ए1 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। /डब्ल्यू 34 आईपीसी और यहां प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ धारा 420, 302 आर/डब्ल्यू 109 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए - मूल आरोपी नंबर 2।

5.2 यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने ए1 और ए2 के बीच कॉल विवरण एकत्र किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सेवा प्रदाता और नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कॉल विवरण रिपोर्ट का अवलोकन स्पष्ट रूप से साबित करता है कि A1 और A2 दोनों द्वारा कई कॉल किए गए थे, इसके विपरीत, उदाहरण के लिए 23.09.2019 को (वह दिन जब घटना हुई थी)) लगभग 09:05:26 पर, यहां प्रतिवादी नंबर 1 - ए2 ने अपने मोबाइल नंबर 6382028209 से ए1 को उसके मोबाइल नंबर 9790846016 पर कॉल किया और फिर से ए1 ने ए2 को कॉल किया - यहां प्रतिवादी नंबर 1 उसी दिन लगभग 09:51:59 और 09:55:15 बजे। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उस समय घटना स्थल पर A1 उपलब्ध था और दूसरी कॉल के लिए भी टावर लोकेशन ने वही स्थान दिखाया। यह प्रस्तुत किया गया है कि

उसी दिन फिर से मोबाइल नंबर 9790846016 से, A1 ने अपने मोबाइल नंबर पर A2 को कॉल किया। 6382028209 शाम लगभग 6:36 बजे। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि उक्त श्रीमती भारती, प्रतिवादी संख्या 1, यहां A2 ने A1 द्वारा किए गए अपराध में सहायता की और उकसाया।

5.3 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि रुपये की वसूली हुई थी। ए2 के कहने पर ए2 के घर से 1 लाख 20 हजार रु. इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ आरोपपत्र/संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

6 श्री नागामुथु, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित हुए - ए 2 ने प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और रिकॉर्ड पर सामग्री/सबूत पर विचार करने पर यह पाया गया है कि प्रथम दृष्टया सबूत भी नहीं है /यहां प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ सामग्री - ए2, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ आरोपपत्र/आपराधिक कार्यवाही को सही ढंग से रद्द कर दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह और यहां तक कि मूल शिकायतकर्ता के बयान पर विचार करने पर भी और यहां तक कि अभियोजन पक्ष के मामले पर विचार करने पर भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 1 - ए 2 ने धारा 420 के तहत कोई अपराध किया है, 302 आर/डब्ल्यू 109 आईपीसी। कथन से यह प्रतिपादित किया जाता है

मूल शिकायतकर्ता - अपीलकर्ता के अनुसार, यह समझा जा सकता है कि A2 के खिलाफ आरोप यह है कि उसने A1 को उनसे परिचित कराया था; कि A1 को 4/5 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था; जहर देने और यहां तक कि जहर खरीदने का आरोप केवल A1 के खिलाफ है; इसका कोई सबूत नहीं है कि जिस समय A1 ने मृतक को जहर दिया था, उस समय A2 - प्रतिवादी नंबर 1 मौजूद था।

6.1 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि ए2 का तथाकथित इकबालिया बयान साक्ष्य में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और इसलिए ऐसे कथित इकबालिया बयान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है।

6.2 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि रुपये की तथाकथित वसूली भी। A2 के घर से 1 लाख 20 हजार रुपये A2 के खिलाफ उन अपराधों के आरोप को घर नहीं ला सकते जिनके लिए उस पर आरोप पत्र दायर किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह वही पैसा था जो शिकायतकर्ता द्वारा A1 को दिया गया था।

6.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि ए1 और ए2 के बीच तथाकथित कॉल विवरण को भी ए2 के खिलाफ पर्याप्त सामग्री/सबूत नहीं कहा जा सकता है। केवल इसलिए कि A1 और A2 ने बात की होगी, A2 के विरुद्ध नहीं ठहराया जा सकता।

6.4 आगे यह भी कहा गया है कि 24.09.2019 को अस्पताल में दर्ज किया गया शिकायतकर्ता का बयान भी मृत्यु पूर्व बयान के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि बाद में वह जीवित रही। यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले में सुधार हुआ है और बाद में वह इस मामले में सामने आई थी कि उसने रुपये का भुगतान किया था। 5 लाख, जबकि मूल मामले के अनुसार, राशि रु. 4 लाख दिए गए.

6.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि आईपीसी की धारा 109 के तहत अपराध के लिए ए2 के खिलाफ कोई सामग्री/सबूत नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 - ए 2 के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 के तहत अपराध को आकर्षित करने का कोई मामला नहीं बनता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आईपीसी की धारा 109 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए A2 के खिलाफ कोई घटक उपलब्ध नहीं है।

6.6 इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी नंबर 2 के आरोप पत्र/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6.7 उपरोक्त दलीलें देते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है।

पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से पहले, उन सिद्धांतों पर इस न्यायालय के कुछ फैसले हैं जिन्हें उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय/ आरोप तय करने के चरण में डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखना चाहिए। संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है।

7.1 दीपक (सुप्रा) के मामले में, इस बिंदु पर इस न्यायालय के अन्य बाध्यकारी निर्णयों, अर्थात् अमित कपूर बनाम रमेश चंदर (2012) पर विचार करने के बाद, हममें से कौन (डॉ. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़) लेखक है। 9 एससीसी 460; राजस्थान राज्य बनाम फतेहकरण महदू (2017) 3 एससीसी 198; और चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) (2009) 16 एससीसी 605, यह देखा गया और माना गया कि आरोप तय करने के चरण में, अदालत को केवल यह पता लगाने के लिए सामग्री पर विचार करना होगा कि क्या यह "मानने" का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। यह देखा गया है और माना गया है कि उस स्तर पर, उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य, उनके अंकित मूल्य पर लेते हैं, सभी सामग्रियों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। कथित अपराध या अपराध। आगे यह देखा गया और माना गया कि इस स्तर पर उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना करने और आरोपों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने और दर्ज किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह पता

लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी पर आरोपपत्र दायर किया गया है या किसके खिलाफ आरोप तय किया गया है। दोषी ठहराए जाने या नहीं होने की संभावना है।

8. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जो प्रतिवादी नंबर 1 - ए 2 के खिलाफ भी मजबूत संदेह पैदा करती है। यह पाया गया है कि A2- प्रतिवादी नंबर 1, जो सचिवालय में कार्यरत थी और मृतक और शिकायतकर्ता के संपर्क में थी क्योंकि वह मृतक के स्वामित्व वाली ज़ेरॉक्स दुकान में जाती थी और उसने शिकायतकर्ता और मृतक को A1 से मिलवाया था। . यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि उसने कहा कि वह मृतक के लिए नौकरी/रोजगार प्राप्त करने का प्रबंधन कर सकती है लेकिन इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। यह सच है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार और यहां तक कि शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, रुपये की राशि। A1 को 5 लाख का भुगतान किया गया। हालाँकि, जाँच के दौरान रु. A2 के कहने पर यहां प्रतिवादी नंबर 1 - A2 के घर से 1 लाख 20 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। यह सच हो सकता है कि तथाकथित इकबालिया बयान यहां प्रतिवादी क्रमांक 1 साक्ष्य में अस्वीकार्य है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह के बयान के आधार पर रुपये की वसूली की गई थी। A2 के घर से 1 लाख 20 हजार - यहां प्रतिवादी नंबर 1। दूसरा पहलू यह है कि बरामद रकम रु. 1 लाख 20 हजार वही रकम थी जो मृतक और शिकायतकर्ता ने A1 को दी थी, यह मुकदमे के दौरान विचारणीय साक्ष्य का विषय है। यहां तक कि रुपये का स्रोत भी. 1 लाख 20 हजार का स्पष्टीकरण आरोपी को देना पड़ सकता है।

9. ऐसा भी प्रतीत होता है कि जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने A1 और A2 के बीच कॉल विवरण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं जो अपराध के समय और उसके बाद भी निकटता में हैं। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब प्रतिवादी नंबर 1 पर आईपीसी की धारा 420, 302 आर/डब्ल्यू 109 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है और जैसा कि ऊपर देखा गया है, जब कम से कम प्रथम दृष्टया मामला दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ - ए 2, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोप पत्र/संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गंभीर त्रुटि की है। आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र निरस्त करना उचित नहीं है। जांच के दौरान जो कुछ सामने आया है,

उसे हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने सबूतों की सराहना की और विचार किया कि क्या सबूतों के आधार पर, आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं, जो धारा 482 सीआर के तहत आवेदन पर विचार करते समय इस स्तर पर बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। .पी.सी. उच्च न्यायालय मुकदमे का संचालन नहीं कर रहा था और/या दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपीलीय अदालत के रूप में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा था। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को यहां प्रतिवादी नंबर 1 - मूल आरोपी नंबर 2 के आरोप पत्र को रद्द नहीं करना चाहिए था।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 420, 302 आर/डब्ल्यू 109 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई की फाइल पर 2019 के पी.आर.सी. संख्या 250 में आरोप पत्र/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए पारित निर्णय और आदेश प्रतिवादी के लिए यहां नंबर 1 - मूल आरोपी नंबर 2 खारिज किए जाने और अलग किए जाने का हकदार है और तदनुसार खारिज किया जाता है और अलग रखा जाता है। अब विद्वान मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी वर्तमान आदेश सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन पर विचार करते समय तक ही सीमित रहेगा। और उपरोक्त मामले में मुकदमा अपने गुण-दोष के आधार पर, कानून के अनुसार, रखे गए साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगा।

11. उपरोक्त शर्तों के तहत अपील स्वीकार की जाती है।

निधि जैन की अपील स्वीकार की गई

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।